

would like to withdraw my amendment.

The Amendment was, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now the question is:

"That this House do agree with the Thirty-ninth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 21st February, 1983."

The motion was adopted.

15.04 hrs.

DELHI ADMINISTRATION
(AMENDMENT) BILL*

THE MINISTER OF STATE IN THE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(SHRI P. VENKATASUBBAIAH):

On behalf of Shri P. C. Sethi, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Delhi Administration Act, 1966.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Delhi Administration" Act, 1966."

Now, Prof. Ajit Kumar Mehta.

श्री अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) :
उपाध्यक्ष महोदय, 18 फरवरी को संसद का बजट अधिवेशन आरम्भ होने वाला था। हर साल बजट अधिवेशन लगभग इसी समय पर होता है। इस बात को जानते हुए भी सरकार ने 2 जनवरी को आर्डिनंस जारी करना उचित समझा—इसका क्या कारण था? आखिर सरकार की क्या मंशा है? क्या इससे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि सरकार यह चाहती है कि विधान मंडलों की ताकत को कम से कम किया जाय? सारे काम

विधान मंडल के बाहर ही करा लिये जायें, इस तरह के कारनामों पर पहले भी आब्जैकशन उठाया जा चुका है, लेकिन फिर भी सरकार सारे काम विधान मंडल के बाहर करा लेती है। आपकी तो पूरी मंजोरिटी है, आप जो चाहें पास करवा सकते हैं, फिर भी आप विधान मंडल की अवहेलना क्यों करते हैं? आप कहेंगे दिल्ली का चुनाव करवाना बहुत आवश्यक था। चुनाव कराने के लिये यह आर्डिनंस जारी किया गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर आप क्या चाहते हैं? तीन साल तक आपने दिल्ली का चुनाव नहीं करवाया, उसके लिये आपको कोई जल्दी नहीं हुई, लेकिन कुछ दिनों के लिये, जब तक कि नई सूची तैयार हो जाती, नय लोग जो ब्यस्क हुए हैं, उनके नाम भी मत दाता सूची में शामिल हो जाते, उनको वंचित करने के लिये आपने जल्दी से जल्दी आर्डिनंस निकाल कर चुनाव करवा लिया। यदि आप कुछ दिन और ठहर जाते तो कोई प्रलय नहीं आ जाती, आकाश नहीं फट जाता। असम के चुनाव में भी आपने ऐसा ही किया है, जल्दी से जल्दी चुनाव करवा लिए हैं। यह आपने ऐसा इसलिये किया कि कम से कम मतदाता ही मतदान में भाग लें या ऐसे मतदाता मतदान में भाग न ले पायें जो आपके विरोधी हों। इसलिये यह परम्परा निश्चित रूप से अच्छी नहीं है। मैं उसका विरोध करता हूँ।

SHRI P. VENKATASUBBAIAH:
Sir, we are introducing the Bill just now and when it is being discussed, Government will come forward and state the reasons for issuing the ordinance. I would therefore request the hon. Member to be patient and hear the Government's side. I think he will himself be satisfied for the Government's action for bringing forward a Bill to amend the Delhi Administration Act, 1966.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to amend the Delhi Administration Act, 1966."

The motion was adopted.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: I introduce the Bill.

15.26 hrs.

STATEMENT RE: DELHI ADMINISTRATION (AMENDMENT) ORDINANCE, 1983

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): On behalf of Shri P. C. Sethi, I beg to lay on the table an explanatory statement (Hindi and English versions) giving reasons for immediate legislation by the Delhi Administration (Amendment) ordinance, 1983

15.07 hrs.

DELHI MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) BILL*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): On behalf of Shri P. C. Sethi, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Delhi Municipal Corporation Act, 1957.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Delhi Municipal Corporation Act, 1957."

The motion was adopted.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: I introduce the Bill.

15.08 hrs.

STATEMENT RE. DELHI MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) ORDINANCE, 1983

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): On behalf of Shri P. C. Sethi, I beg to lay on the Table an explanatory statement (Hindi and English versions) giving reasons for immediate legislation by the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 1983.

15.8½ hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) COMPENSATION TO FARMERS OF HARYANA FOR CROPS DESTROYED IN HAIL-STORM

श्री मनीराम बागड़ी (हिंसार) :
उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

बहुत अरसे से हरियाणा प्रान्त के हर जिले में आम तौर से जीन्द, भिवानी, नरवाना, रोहतक, सोनीपत, हिंसार, सरसा में ओला-वृष्टि से किसानों को भारी क्षति हुई है। हरियाणा सरकार ने एलान किया था कि क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा सरकार देगी और इस कायदे के मुताबिक सरकार मुआवजा देती भी है। लेकिन, इस दफा किसानों को ओला-वृष्टि की क्षति का मुआवजा नहीं दिया गया। इसमें घूसखोरी चल रही है और किसान बहुत परेशान और बेहाल है। यह किसान तहसीलों के और जिला कचहरियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और कई लोगों की हालत तो भुखमरी जैसी हो गई है। सरकार तुरन्त